न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 3/ 2019 जिला सीकर

1. भंवर लाल
2. रणजीत सिंह
3. रामनिवास
4. श्रवण
5. खेमचन्द

पुत्रान स्व. चुन्नी लाल, जातियान जाट, निवासीयान कोका की ढाणी पोस्ट धाननी , तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान) हाल निवासी मकान संख्या 2 ई. 18, शास्त्री नगर, नेहरू पार्क के सामने सालासर रोड, सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
दिनांक 4.10.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक– 10.6.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 4.10.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 15.1.2019 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम धाननी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा 196 रकबा 0.07 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 243 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 248 रकबा 0.01 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने निर्णय दिनांक 4.10.2017 को पारित किया कि "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.43 (2) राज–6/ 2003/

Scanned by CamScanner

पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा कृषि भूमि पर चल रहे / बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव पत्रांक भू.अ./ 17/2174 दिनांक 26.9.2017 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार मुताबिक ग्राम धाननी पटवार हल्का धाननी तहसील लक्ष्मणगढ जमाबन्दी संवत 2067 में रास्ते हेतु खाता संख्या 86 खसरा संख्या 196 में रास्ते हेतु 0.07 हैक्टेयर (150 मीटर X 4.67 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 150 मीटर व चौडाई 4.46 मीटर है । खाता संख्या 56 खसरा संख्या 243 में रास्ते हेतु 0.05 हैक्टेयर (96 मीटर X 4.67 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 96 मीटर व चौडाई 4. 67 मीटर है । खाता संख्या 29 खसरा संख्या 242 में रास्ते हेतु 0.02 हैक्टेयर (92 मीटर X 2.33 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 2.33 मीटर है । खाता संख्या 141 खसरा संख्या 244 में रास्ते हेतु 0.02 हैक्टेयर (92 मीटर X 2.34 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 2. 34 मीटर है । खाता संख्या 19 खसरा संख्या 248 में रास्ते हेतु 0.01 हैक्टेयर (20 मीटर X 4.67 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 20 मीटर व चौडाई 4.67 मीटर का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकार्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकीन रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तद्नुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये । रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी नक्शा निर्णय के विभिन्न अंग रहेगें'' ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 4.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय 4.10.2017 बाबत खसरा संख्या 196 खारिज करने तथा नक्शे व रिकार्ड में किया गया अंकन दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम धाननी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 1.29 हैक्टेयर के खातेदार अपीलान्ट्स है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना नोटिस दिये उनकी खातेदारी भूमि में से 0.07 हैक्टेयर भूमि

Scanned by CamScanner

में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये । उनका कहना था कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर चालू नहीं है न ही मौसमी रास्ता है और न ही रास्ता एक से दूसरे गॉव को जोडता है । उनका कहना था कि पटवारी हल्का ने बिना किसी खातेदार की शिकायत के मनमाने तरीके से हाल सरपंच जो अपीलान्ट्स से द्वेषता रखता है, के इशाने पर बाला बाला अपीलान्ट्स को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से गैर मुमकीन रास्ता कायम कराया है , जो विधिक एवं उचित नहीं है । उनका कहना था कि यदि एक खेत से दूसरे खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तो पक्षकारान को जिस खेत की भूमि में से रास्ता लेना है उस काश्तकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अनुसार उचित मूल्य या भूमि देकर रास्ता कायम कराया जा सकता है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स जो कि प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार थे उनको बिना नोटिस दिये व बिना सुने केवल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स की भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद के संबंध धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं इसके विपरीत कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर की अभिशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.2017 द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.43(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 में दिये गये निर्देश की पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा कृषि भूमि पर चल रहे / बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव पत्रांक भू.अ./17/2174 दिनांक 26.9.2017 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार मुताबिक ग्रम धाननी पटवार हल्का धाननी तहसील लक्ष्मणगढ जमाबन्दी संवत 2067 में रास्ते हेतु खाता संख्या 86 खसरा संख्या 196 में रास्ते हेतु 0.07 हैक्टेयर (150 मीटर X 4.67 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 150 मीटर व चौडाई

Scanned by CamScanner

4.46 मीटर है । खाता संख्या 56 खसरा संख्या 243 में रास्ते हेतु 0.05 हैक्टेयर (96 मीटर X 4.67 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 96 मीटर व चौडाई 4.67 मीटर है । खाता संख्या 29 खसरा संख्या 242 में रास्ते हेतु 0.02 हैक्टेयर (92 मीटर X 2.33 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 2.33 मीटर है । खाता संख्या 141 खसरा संख्या 244 में रास्ते हेतु 0.02 हैक्टेयर (92 मीटर X 2.34 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 2.34 मीटर है । खाता संख्या 19 खसरा संख्या 248 में रास्ते हेतु 0.01 हैक्टेयर (20 मीटर X 4.67 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 20 मीटर व चौडाई 4. 67 मीटर का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकार्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकीन रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तद्नुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये है । रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी नक्शा निर्णय के विभिन्न अंग रहेगें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम धाननी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर खसरा नम्बर 196 रकबा 1.29 हैक्टेयर में से 0.07 हैक्टेयर में अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने केवल तहसीलदार लक्ष्मणगढ की अभिशंषा के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.10.2017 द्वारा गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को जो कि विवादित भूमि ग्रम धाननी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित खसरा नम्बर 196 रकबा 1.29 हैक्टेयर के खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें बिना नोटिस दिये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर गैर मुमकीन रास्ता कायम करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर कमांकः रीडर/2017/409 दिनांक 4.10.2017 अपीलान्ट की ग्रम धाननी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 1.29 हैक्टेयर में से गैर मुमकीन रास्ते के लिये ली गई भूमि रकबा 0.07 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा

Scanned by CamScanner

प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner